

राजस्थान - सरकार
कार्यालय रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जैसलमेर



क्रमांक : १५५

दिनांक : 28/7/2016

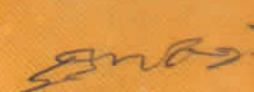
संशोधित पंजीयन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, "मुरीद की ढाणी विकास एवं सेवा संस्थान कोहरियों का गांव खुईयाला" का पंजीयन इस कार्यालय द्वारा पंजीयन क्रमांक 131/जैसल/2005-06 दिनांक 15 अक्टूबर, 2005 को राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के तहत किया गया है।

आज दिनांक 28-07-2016 को इस संस्था का नाम परिवर्तन कर के "सबका मालिक एक, कोहरियों का गांव खुईयाला" कर दिया गया है।

यह संशोधित पंजीयन प्रमाण-पत्र आज दिनांक अठ्ठाईस माह जुलाई सन दो हजार सोलह को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।




(दुर्गर सिंह)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जैसलमेर

मुरीद की ढाणी विकास एवं सेवा संस्थान कोहरियों का गांव खुईयाला

रजि. नं. 131/बैरुल/2005-06 पंजीयन दिनांक 15.10.2005

संशोधित विधान (नियमावली)

संशोधन दिनांक 22.06.2016

51

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
उपनियम सं. 01	उपनियम सं. 01
संस्था का नाम :- "मुरीद की ढाणी विकास एवं सेवा संस्थान कोहरियों का गांव खुईयाला है व रहेगा।	संस्था का नाम :- "सबका मालिक एक संस्थान" - कोहरियों का गांव - खुईयाला है व रहेगा।



अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

11 संशोधन सोसायटी अधिनियम 1958 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि यह पत्रादि संस्था के सम्बंध में प्रस्तुत किये गए पत्र जो कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ सं 51 से लक्ष्य उपलब्ध है, कि प्रमाणित प्रति है।

प्रमाणित प्रति देने की दिनांक 28/7/16

नक्कल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

जिल्दार संस्थाएं
जैलमकर

राजस्थान सरकार
निदेशालय गोपालन राजस्थान, जयपुर
कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार) गौशालाएं
पशुधन भवन परिसर, टॉक रोड़, लालकोठी जयपुर, 302015

संशोधित पंजीयन प्रमाण-पत्र

अध्यक्ष, मुरीद की ढाणी विकास एवं सेवा संस्थान, कोहरियों का गांव खुईयाला तहसील व जिला जैसलमेर से प्राप्त प्रपत्र IX, लिखित प्रार्थना पत्र व शपथ-पत्र के आधार पर तथा रजिस्ट्रार संस्थाएं, जैसलमेर द्वारा राजस्थान सोसायटी अधिनियम, 1958 के द्वारा मुरीद की ढाणी विकास एवं सेवा संस्थान, कोहरियों का गांव खुईयाला का नाम परिवर्तित कर सबका मालिक एक संस्थान कोहरियों का गांव खुईयाला जिला जैसलमेर किया गया है। अतः उक्त संशोधन के अनुसार राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 1516 दिनांक 15.06.2015 द्वारा पंजीकृत मुरीद की ढाणी विकास एवं सेवा संस्थान, कोहरियों का गांव खुईयाला तहसील व जिला जैसलमेर के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए "सबका मालिक एक संस्थान कोहरियों का गांव खुईयाला जिला जैसलमेर" किया जाता है।

रजिस्ट्रार गौशाला/संयुक्त निदेशक
(गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी)
निदेशालय गोपालन राजस्थान, जयपुर

एफ. 3()निगो/गौपनसु/संशोधन/16/ 208-09
जयपुर, दिनांक: 5/12/16

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जैसलमेर।
2. अध्यक्ष, सबका मालिक एक संस्थान कोहरियों का गांव खुईयाला जिला जैसलमेर।

रजिस्ट्रार गौशाला/संयुक्त निदेशक
(गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी)
निदेशालय गोपालन राजस्थान, जयपुर